न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/590

1. मथुरा लाल
2. अमर लाल पिसरान छीतर जी जाति मीना निवासी ग्राम नन्दगॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज फत्ता जाति मीणा निवासी ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 315 चाह रकबा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता फत्ता वल्द टूण्डा मीणा को बिल एवज 25/– रूपये जमा कराके प्राप्त हुई थी तथा नियमन किया गया था । तब से ही उक्त भूमि वादी के कब्जे में चली आ रही है । नये खसरा नम्बर 472 रकबा 16 बिस्वा नहरी दोयम सिवायचक लगानी है तथा जिस पर वादी पेनल्टी जमा करता चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुका है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 315 तथा नये खसरा नम्बर 472 की रकबा 16 बिस्वा पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे ।

4. प्रतिवादी तहसीलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2010 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट वादी मांग्या ने अपीलान्ट के पिता छीतर आत्म मोती लाल के विरूद्ध दिनांक 21.02.1975 को कब्जा दिलाये जाने का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था और सन् 1968 से उक्त भूमि पर छीतर का जबरन कब्जा होना प्रकट किया था । ऐसी स्थिति में वादी द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है । वादी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के पिता स्व0 छीतर एंव अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि अपीलान्ट का उनके पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 472 तथा 315 पुरान रकबा 15 बिस्वा बाबत् रेस्पोडेन्ट मांग्या द्वारा अपीलान्ट के पिता छीतर के विरूद्ध प्रस्तुत वाद संख्या 57/1977 मांगीलाल बनाम छीतर अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 20.03.1984 को खारिज हो चुका था । इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निर्णय करवा लिया जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है और अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होना कथन किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होना बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि दिनांक 19.10.2015 को रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्ट को मौके पर खेती करने वाले व्यक्तियों को भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी जिस पर अपीलान्ट को उक्त

अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 18.11.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकार घोषणा का दावा पेश कर यह कथन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 315 चाह रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । जिसे वादी को दिनांक 03.05.1967 को नियमन किया गया था तब से ही इस आराजी पर वादी का कब्जा चला आ रहा है । इसके नये खसरा नम्बर 472 की 16 बिस्वा आराजी सिवायचक दर्ज है जिसका वादी को खातेदार घोषित किया जावे । सरकार के द्वारा जवाब पेश कर खसरा नम्बर 315 के आवंटन को अस्वीकार किया गया और आराजी का सरकारी सिवायचक दर्ज होना प्रकट किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.03.2010 को दावा वादी डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी पर कभी भी रेस्पोडेन्ट वादी का कब्जा नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट मांग्या ने अपीलान्ट के पिता छीतर लाल के खिलाफ धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दाव पेश किया था । रेस्पोडेन्ट वादी के द्वारा तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया गया है । अपीलान्ट के पिता एवं अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना दावा पेश किया है जबकि मौके पर काफी समय से अपीलान्ट एवं उनके पिता का कब्जा रहा है । न तो वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा था और न ही उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई थी, उनको खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । कब्जे के अभाव में हक घोषणा का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता । फत्ता के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट वादी के पिता फत्ता को नियमन की गई थी । कब्जा रेस्पोडेन्ट का ही है इस आराजी के बाबत् अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को चैलेंज करने का कोई लोकस–स्टण्डाई नहीं है । अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब के कोई समुचति कारण भी नहीं बताये हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2010 बहाल रखा जावे ।

13. अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

14. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में सहायक जिलाधीश बून्दी द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.02.1977, मौका कमीश्नर की मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, परगना अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.1984 की प्रमाणित प्रति पेश की गई हैं । उक्त दस्तावेज न्यायालय के निर्णय एवं कमीश्नर रिपोर्ट पेश की गई

है। उक्त दस्तावेजात की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

15. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने सरकारी सिवायचक आराजी के लिए यह कथन करते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी सन् 1967 में नियमन की गई थी और कब्जा मुखालफाना के आधार पर वो इसके खातेदार हो चुके हैं । जवाबदावा तहसीलदार के द्वारा पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 03 तनकीयात कायम की है जो आदेशिका दिनांक 04.01.2006 में अंकित है ।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श– 1, रसीद की प्रति प्रदर्श–2, तहसीलदार के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2004 प्रदर्श–3, खसरा परिवर्तनशील की नकल प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श–5 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । रसीद की नकल प्रदर्श–6, धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रदर्श–7, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श–8, मांगीलाल के द्वारा तहसीलदार को लिखा गया आवेदन दिनांक 12.08.2001 प्रदर्श–9, तहसीलदार हिण्डोली का नियमन आदेश दिनांक 03.05.1967 संलग्न हैं ।

18. पत्रावली पर बयान वादी मांगीलाल पीडब्ल्यू–1, शोजी राम पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

19. वादी का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनको दिनांक 03.05.1967 को नियमन हुई थी और इस पर उनका कब्जा है । अतः उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है । आवंटन अथवा नियमन आदेश की प्रति प्रदर्श–10 के अनुसार तहसीलदार के द्वारा नियमन आदेश जारी किये गये हैं जबकि आवंटन/नियम आवंटन सलाहकार समिति जिसका अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी होता है के द्वारा ही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह परीक्षण किया जाना अनिवार्य है कि यह नियमन आदेश विधिक है अथवा नहीं । यदि तर्क के लिए इस निमयन आदेश को विधिक माना जाता है तो भी नियमन के उपरान्त गैर खातेदारी एवं खातेदारी आवंटन व नियमन शर्तों की पालना करने पर सक्षम आवंटन अधिकारी के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है । हक घोषणा के दावे के माध्यम से इस प्रकार के प्रकरण में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

20. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार की मांगी की है जबकि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च

न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

21. अपीलान्ट का यह भी कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है, रेस्पोडेन्ट का नहीं है और वो भी इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को ही बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

22. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर उन्हें जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.05.2020 को उपस्थित हों ।

23. निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा